

Red

Block : 1

Gate: A,B



2022-RDC-1-12073

THE MINISTRY OF DEFENCE

requests the pleasure of the presence of

Mr. Ravikiran & Spouse

at the

BEATING RETREAT

by the massed bands of the three services

at Vijay Chowk

on Sunday, 29th January, 2023 (9 Magha, 1944)

at 5:15 p.m.

(Please be seated by 4:00 p.m.)

Seating will be on "First come first occupy" basis

Not Transferable.

Please bring this card with you
and follow the enclosed instructions.



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



Red

Block : 1

Gate: A,B



सत्यमेव जयते

रक्षा मंत्रालय



2022-RDC-1-12073


Mr. Ravikiran & Spouse

को रविवार, 29 जनवरी, 2023 (9 माघ 1944) को
सायं 5:15 बजे विजय चौक पर
तीनों सेनाओं के सामूहिक बैण्डो द्वारा आयोजित

समापन समारोह

में सादर आमंत्रित करता है।

(कृपया सायं 4:00 बजे तक स्थान ग्रहण कर लें।
सीटें "पहले आएँ पहले बैठें" के आधार पर रहेंगी।)



अहस्तांतरणीय।
कृपया यह कार्ड अपने साथ लाएं
और संलग्न अनुदेशों का पालन करें।



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

G20
भारत 2023 INDIA



Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India

- (1) To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
- (2) To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
- (3) To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
- (4) To defend the country and render national service when called upon to do so;
- (5) To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
- (6) To value and preserve the rich heritage of our composite culture;
- (7) To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
- (8) To develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
- (9) To safeguard public property and to abjure violence;
- (10) To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
- (11) Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.



मूल कर्तव्य

भारत के प्रत्येक नागरिक क यह कर्तव्य होगा कि वह

- (1) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
- (2) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
- (3) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;
- (4) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (5) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;
- (6) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
- (7) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे;
- (8) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (9) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (10) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले;
- (11) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे।

Advisory

In view of care to be exercised during covid 19 situation. The invitees are requested to follow guidelines issued by MHA & Ministry of Health & Family Welfare at all times while they are in the RDP function area in this regard attention is invited to the following.

- i) In the event of any invitee experiencing/having a history of any symptoms of Covid-19 within 2 weeks of the Republic Day 2023, which is yet untested or confirmed POSITIVE for Corona (Covid-19), the invitee may consider refraining to attend the event.
- ii) At the entry gates, markings will be available at adequate distance and invites are requested to position/move on these markings while entering the gate.
- iii) Controlling officers & Ushers will be on duty to assist & guided for seating inside the designated enclosures.
- iv) Similarly on conclusion of RDP/Beating Retreat function all invitees are requested to remain seated until requested/guided by the Controlling officers/Ushers of the designated enclosures to proceed to avoid any crowding at exit.

दिशा निर्देश

कोविड-19 स्थिति के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के परिप्रेक्ष्य में, सभी आमंत्रितों से अनुरोध किया जाता है कि वे गणतंत्र दिवस समारोह परिसर में उपस्थिति के दौरान, पूरे समय गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।

इस संबंध में, निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित किया जाता है :

- i) गणतंत्र दिवस 2023 के 2 सप्ताह में पहले कोविड-19 के किसी भी लक्षण के प्रकट होने की दशा में आमंत्रित व्यक्ति, जिसकी जांच नहीं हुई है अथवा जांच रिपोर्ट सकारात्मक या अपुष्ट है, वह आमंत्रित व्यक्ति समारोह में भाग नहीं लेने पर विचार कर सकता है।
- ii) प्रवेश द्वार पर चिह्न पर्याप्त दूरी पर उपलब्ध होंगे और गेट में प्रवेश करते समय आमंत्रितों से इन चिह्नों पर रुकने/चलने का अनुरोध किया जाता है।
- iii) नामित परिक्षेत्र के अंदर बैठने के लिए सहायता और मार्गदर्शन हेतु नियंत्रक अधिकारी और अशरस ड्यूटी पर मौजूद होंगे।
- iv) इस तरह गणतंत्र दिवस/समापन समारोह की समाप्ती पर, निकास पर भीड़ से बचने के लिए सभी आमंत्रितों से तब तक बैठे रहने का अनुरोध किया जाता है जब तक उन्हें मार्गदर्शन के लिए नियंत्रक अधिकारियों और अशरस द्वारा चलने के लिए अनुरोध नहीं किया जाता है।

BEATING RETREAT - 2023
INSTRUCTIONS
29TH JANUARY, 2023

The Invitation Card is NOT TRANSFERABLE. It is intended only for the person(s) named therein. Invitees are requested to bring the invitation Card with them and be in their seats by 4:00 p.m. at the latest. Invitees arriving after 4:15 p.m. may not be admitted.

Invitees are requested not to bring any bag, brief case, eatable, radio/transistor, pager, tape recorder, camera, binocular, digital dairy, palm-top, power bank, mobile charger, head phone, i-pad, laptop, computer, communication wireless set or any other wireless communication equipment/gadget/microchips etc, remote controlled car lock keys,* arms and ammunition, thermos flask, water bottle, cigarette, bidi, match box, lighter, knife, laser lights, razor, scissors, screwdriver, blade, alcohol, cans, dagger/sword/cuttings/sharp pointed edged materials, fire work(s)/crackers, perfume, inflammable items, umbrella, sprays, replica firearms/toy gun, handcam, I-pod, pen drive, wires and explosive in any form etc. with them as such items will not be allowed to be carried to the seating enclosures.

Invitees are allowed to carry their mobile phones.

Security personnel on duty have instructions to verify the identity are therefore requested to bring, along with Admit Card, some documents to establish their identity e.g., Departmental Photo Identity Card/Passport/Driving Licence/Weapon Licence etc. This may cause some inconvenience. However, in the interest of Security, kind cooperation of the invitees is solicited. Children accompanying invitee should also carry an identity card for verification of the age.

All the invitees are requested to follow the instructions of security personnel.

Children aged above 5 years only will be permitted during the event.

Invitees are requested to display the enclosed car parking label on the wind screen of their cars. No other label be displayed on the screen.

Invitees coming in chauffeur driven vehicles should advise their drivers to take the vehicle into earmarked parking lot immediately after they have alighted. The drivers should remain in the vehicles and cooperate in the anti-sabotage check of the vehicles by security staff, wherever requested.

Invitees should alight from and also board their respective vehicles inside the parking lots. Drivers should not bring the vehicle near exit point for the boarding of invitees for their return journey after the function is over.

Any unidentified, unattended and suspicious object must be immediately brought to the notice of the nearest security personnel.

Driver of the vehicle will ensure that the Vehicle which is being driven by him is properly checked before proceeding for the destination point.

For queries, if any, contact: Defence (Ceremonials), Ministry of Defence Telephone No. 23012904, 23016547

*** There will be provision for deposit of remote controlled car lock keys in each parking area.**

समापन समारोह-2023

निर्देश

29 जनवरी, 2023

निमंत्रण कार्ड हस्तांतरणीय नहीं हैं। यह केवल उस व्यक्ति(ओं) के लिए है जिसका नाम उसमें दिया गया है। आमंत्रितों से अनुरोध है कि वे निमंत्रण कार्ड अपने साथ लाएं और शाम 4:00 बजे तक अपना स्थान ग्रहण करना सुनिश्चित करें। शाम 4:15 बजे के बाद आने वाले आमंत्रितों को प्रवेश नहीं दिया जा सकता है।

आमंत्रितों से अनुरोध है कि वे कोई बैग, ब्रीफकेस, खाद्य पदार्थ, रेडियो/ट्रंजिस्टर, पेजर, टेपरिकॉर्डर, कैमरा, दूरबीन, डिजिटल डायरी, पाम-टॉप कम्प्यूटर, पावर बैंक, मोबाइल चार्जर, हैड फोन, आई-पैड, लैपटाप, कम्प्यूटर, वायरलेस संचार यंत्र आदि, रिमोट कंट्रोल कार-लॉक चाबी, * हथियार और गोला-बारूद, थर्मस फ्लास्क, पानी की बोतल, सिगरेट, बीड़ी, माचिस, लाइट, चाकू, लेजर लाइट, रेज़र, कैंची, स्कूट्राइवर, ब्लेड, अल्कोहल, केन, खंजर / तलवार/कटिंग/तेज नुकीला सामग्री, पटाखें/ इत्र, ज्वलनशील वस्तुएं, छाता, स्प्रै, नकली पटाखें/खिलौना बंदूक, हैंडीकैम, आई-पॉड, पेन ड्राइव, तार और विस्फोटक आदि अपने साथ न लाएं क्योंकि बैठने के स्थान तक ऐसी वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

आमंत्रितों को अपने मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति है।

ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा-कर्मियों को आमंत्रित लोगों की पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। इसलिए सभी आमंत्रितों से अनुरोध है कि अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रवेश पत्र के साथ कुछ दस्तावेज जैसे विभागीय फोटो पहचान-पत्र/ पासपोर्ट/ड्राइविंग लाईसेंस/हथियार लाईसेंस आदि लाएं। इससे कुछ असुविधा हो सकती है तथापि सुरक्षा के हित में आमंत्रित व्यक्तियों से सहयोगी की अपेक्षा की जाती है। आमंत्रित व्यक्तियों के साथ आने वाले बच्चों को उम्र के सत्यापन के लिए एक पहचान-पत्र भी ले जाना चाहिए।

सभी आमंत्रितों से अनुरोध है कि वे सुरक्षाकर्मियों के निर्देशों का पालन करें।

आयोजन के दौरान केवल 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को अनुमति दी जाएगी।

आमंत्रितों से अनुरोध है कि वे अपनी कार की विंड स्क्रीन पर संलग्न कार पार्किंग लेबल प्रदर्शित करें। स्क्रीन पर कोई अन्य लेबल प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।

चालक द्वारा संचालित वाहनों में आने वाले आमंत्रितों को गंतव्य स्थल पर उतरते ही अपने ड्राइवरों को आर्बिट्ररी पार्किंग स्थल तक वाहन ले जाने को कहना चाहिए। वाहन चालकों को वाहन में ही रहना चाहिए और जहां भी अनुरोध किया जाए वहां सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा वाहनों की तोडफोड विरोधी जांच/ एंटी सैबोटाज जांच में सहयोग करना चाहिए।

आमंत्रित को पार्किंग स्थल में ही अपने वाहनों से उतरना और सवार होना चाहिए। समारोह समाप्त होने के बाद चालकों को वापसी पर आमंत्रितों को बोर्डिंग के लिए वाहन को एक्जिट पाइंट पर नहीं लाना चाहिए।

किसी अनभिज्ञ, लावारिस एवं संदिग्ध वस्तु को तुरन्त निकटतम सुरक्षा कर्मियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

गंतव्य स्थान के लिए आगे बढ़ने से पहले वाहन चालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके वाहन की ठीक से जांच की गई हो।

अतिरिक्त जानकारी के लिए रक्षा (समारोह), रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली से सम्पर्क करें। दुरभाष संख्या 23012904, 23016547.

* प्रत्येक पार्किंग क्षेत्र में रिमोट नियंत्रित कार लॉक कुंजी जमा करने का प्रावधान होगा।

29th , JANUARY - 2023

